

**बिहार सरकार,
कृषि विभाग।**

पत्र संख्या- आत्मा-03/2015- 3984 /कृ0, पटना, दिनांक 10/8/2015

शुद्धि पत्र

नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी (NMAET) के अंतर्गत सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना के लिए निर्गत कृषि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-आत्मा 03/2015-3931, दिनांक 06.08.2015 में "प्रेषक" एवं "बिहार राज्यपाल के आदेश से" में भूलवश रामजी प्रसाद टंकित हो गया है। अतः इस स्वीकृत्यादेश में भूलवश टंकित "रामजी प्रसाद" के स्थान पर "रामजी सिंह" पढ़ा जाये।

शेष यथावत रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(रामजी सिंह)

संयुक्त सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

आपांक 3984

/कृ0,

पटना, दिनांक 10/8/2015

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना/उप महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रामजी सिंह)

संयुक्त सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

आपांक 3984

/कृ0,

पटना, दिनांक 10/8/2015

प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी/सभी संयुक्त कृषि निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी परियोजना निदेशक, आत्मा/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रामजी सिंह)

संयुक्त सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

आपांक 3984

/कृ0,

पटना, दिनांक 10/8/2015

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, आत्मा/कृषि विभाग के सभी संबंधित पदाधिकारी/योजना एवं बजट शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप निदेशक (शष्प), सूचना को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(रामजी सिंह)

संयुक्त सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।